हकीकत | मझौली के वार्ड नं. 14 में लगा गंदगी का अंबार

सिर्फ नारों में 'स्वच्छता', व्यवहार में 'गंदगी'

मझौली, नवभारत संवाददाता, जबलपुर। 'आवाज़ उठाओ, गंदगी हटाओ' नगर परिषद मझौली की दीवारों पर सजे ये रंग-बिरंगे नारे पहली नजर में तो प्रशासन की सक्रियता का अहसास कराते हैं, लेकिन हकीकत इन शब्दों से कोसों दूर है। मझौली के वार्ड नंबर 14 में दीवारों पर लिखे ये शब्द कचरे के ढेरों के नीचे दबे नजर आ रहे हैं।

इसकी एक बानगी मझौली के वार्ड नंबर 14 में देखी जा सकती है, जहां चहुंओर गंदगी इन नारों की हकीकत खुर बयां कर रही है।

दिखावे की रंगत, हकीकत की बदबू

वार्ड नंबर 14 की दीवारों पर बड़े-बड़े अक्षरों में स्वच्छता का संदेश लिखा गया है, जो कागजों और दीवारों पर तो बहुत सुंदर दिखता है। मगर विडंबना देखिए, जिस दीवार पर सफाई की अपील है, उसी की जड़ में प्लास्टिक की थैलियों, सड़े हुए फलों और गंदे पानी का अंबार लगा है। वहां से उठती सड़ांध इन नारों का मजाक उड़ाती प्रतीत होती है।

जिम्मेदारी किसकी?

यह स्थिति केवल नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर ही नहीं, बल्कि जन-भागीदारी पर भी सवाल खड़े करती है कि क्या केवल दीवारें रंग देने से शहर साफ हो जाएगा? कचरा संग्रहण और डंपिंग की उचित व्यवस्था कहाँ है? क्या नारे केवल पढ़ने के लिए हैं? संदेश को जीवन में उतारना और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है।

नारों से नहीं, व्यवहार से आएगा बदलाव

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब तक हमारे कर्म और शब्द एक समान नहीं होंगे, तब तक 'स्वच्छ मझौली' का सपना केवल दीवारों तक ही सीमित रहेगा। केवल हैशटैग और नारों से बदलाव नहीं आता; असली परिवर्तन तब दिखेगा जब दीवार के नीचे कचरा नहीं, बल्कि हरियाली या साफ रास्ता होगा। 'दीवारों पर लिखे नारे केवल शब्द नहीं, जिम्मेदारी का संदेश हैं। पर जब वही नारे गंदगी के बीच खो जाते हैं, तो उनकी अहमियत खत्म हो जाती है। 'वार्ड नंबर 14 के निवासी ऋषी प्यासी ने प्रशासन से मांग की है कि अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान किया जाए और स्वच्छता को केवल 'नारेबाजी' तक सीमित न रखकर धरातल पर उतारा जाए।

हादसे को न्यौता दे रहे बीच सड़क पर खड़े वाहन

नगर परिषद कार्यालय के सामने अव्यवस्थित पार्किंग बनी आफत

मझौली, नवभारत। नगर परिषद कार्यालय मझौली के ठीक सामने इन दिनों अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। कार्यालय और शनि मंदिर के आसपास सड़क किनारे खड़े चार पहिया वाहन किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। आलम यह है कि मुख्य मार्ग अब स्टैंड में तब्दील हो चुका है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठा है।

अघोषित स्टैंड या प्राइवेट पार्किंग-नगर परिषद के सामने का हिस्सा अब बस स्टैंड या प्राइवेट पार्किंग जैसा नजर आने लगा है। परिषद कार्यालय के ठीक नाक के नीचे यह सब हो रहा है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। वहीं सड़क सकरी होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है और पैदल चलने वालों के लिए भी खतरा बना रहता है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि यहाँ से गुजरना अब डर का काम हो गया है। गाड़ियों की ओट से अचानक सामने आने वाले वाहन नहीं दिखते। अगर जल्द ही इन वाहनों को यहाँ से नहीं हटाया गया, तो यहाँ कोई भी गंभीर हादसा हो सकता है। क्या नगर परिषद प्रशासन और पुलिस विभाग इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेंगे? या फिर किसी अनहोनी के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी।

अंधा मोड़ और छिपते वाहन : जान जोखिम में

स्थानीय नागरिकों और राहगीरों का कहना है कि शनि मंदिर के ठीक सामने बेतरतीब तरीके से खड़े बड़े वाहनों के कारण सड़क का दृश्य पूरी तरह बाधित हो जाता है। मंदिर की ओर से आने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों को सामने से आने वाली गाड़ियाँ दिखाई नहीं देतीं। यह 'ब्लाइंड स्पॉट' हर पल किसी बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकता है।

जनगणना 2027 के प्रथम चरण का अभियान प्रारंभ

नवभारत, बेलखाडू। 1 मई से 30 मई 2026 तक देश भर में जनगणना कार्य होने जा रहा है। जनगणना दल घर -घर पहुंच कर परिवारों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर के मकानों में सीएन नंबर, परिवार के सदस्यों की संख्या, पेयजल व्यवस्था, बिजली सुविधा, शौचालय, गैस कनेक्शन, वाहन संबंधी विवरण तथा परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनाज की जानकारी प्रपत्र भरने में शामिल है। शिक्षक प्रगणक शीतल पटेल, एवं इन्द्र सिंह राजपूत के द्वारा चार्ज अधिकारी गौरव पांडे , शुभ्रा तिवारी सुपरवाइजर के कुशल मार्गदर्शन में पौड़ी,सरखडी, एवं खैरी आदि ग्रामों में मकानों की नंबरिंग पूर्ण कर ली गई है।

चलती ट्रेन में चढ़ते समय मां-बेटी गंभीर रूप से घायल

जबलपुर, नवभारत। विगत रविवार सुबह इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 पर एक चलती ट्रेन में चढने की कोशिश कर रही मां-बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। यह घटना जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 17020 में चढ़ने के दौरान हुई। हैदराबाद निवासी हबीबा बेगम (36) और उनकी बेटी फराना बेगम (18) पानी लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरी थीं। इसी दौरान ट्रेन का सिग्नल हो गया और वह अचानक चलने लगी। दोबारा ट्रेन में चढने की कोशिश में दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे प्लेटफार्म व ट्रेन के बीच गिर गईं। इस हादसे में मां हबीबा बेगम के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और सिर में गंभीर चोट आई है। वही बेटी फराना बेगम के सिर में भी गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता से दोनों की जान बच गई। उन्हें तत्काल इटारसी स्टेशन पर प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।

अजमेर जा रहा था परिवार

घायल महिला के पति अकबर ने बताया कि वे परिवार सहित हैदराबाद से अजमेर दरगाह दर्शन के लिए जा रहे थे। उनका रिजर्वेशन एस-6 कोच में 41 से 46 नंबर बर्थ पर था। उन्होंने बताया कि ट्रेन रुकते ही मां-बेटी पानी लेने उतरी थीं, और ट्रेन अचानक चलने लगी और घबराहट में चढने की कोशिश करते समय मां प्लेटफार्म और पटरी के बीच गिर गईं, जबकि बेटी प्लेटफार्म पर गिरी, जिससे उसके सिर में चोट लगी। घटना के बाद तुरंत ही ट्रेन को रोका गया।

योग, कला, नृत्य और धार्मिक शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास

15 दिवसीय पूजन, शिक्षण एवं समर कैंप का शुभारंभ

नवभारत, जबलपुर। चेलना संभाग की आदिनाथ शाखा अंतर्गत आदि बालिका मंडल के तत्वावधान में आदि बालक मंडल एवं आदि जैन संस्कार पाठशाला के बच्चों के लिए 1 मई से 15 मई तक 15 दिवसीय पूजन शिक्षण शिविर एवं ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में डॉ. प्रियंका द्वारा बच्चों को योग, ड्राइंग, कैलीग्राफी एवं क्ले आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं मान्या जैन द्वारा नृत्य सिखाया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ गायिका मनीषा जैन के निर्देशन में हुआ।

इस आयोजन में प्रांतीय विशिष्ट अधिकारी केंद्रीय सहसचिव सीमा रूपाली, संगीता सिंघई, निशा लक्ष्मी भंडार, प्राची जैन, मोना जैन, प्रीति जैन एवं पाठशाला शिक्षिकाएं राशि जैन, निशा बसंत होजरी, नीति जैन का विशेष सहयोग रहा। महासमिति से प्रीति पाली, ऊषा सिंघई, कु. गुनगुन, कु. नम्रता, कु. नायशा तथा बोर्डिंग मंदिर से संजय सिंघई का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। संभागाध्यक्ष शैलजा जैन, अध्यक्ष अंजली चौधरी, सचिव अनन्या जैन एवं कोषाध्यक्ष सोनल जैन सहित केंद्रीय व प्रांतीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।

क्लाइंबर इलेवन की टीम बनी विजेता

जबलपुर, नवभारत। सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक खमरिया के तत्वाधान में खेली जा रही स्व. आर एस त्रिपाठी डे-नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में, बरगी बांध में क्रूज हादसे की हृदयविदारक घटना के कारण यूनियन द्वारा दो दिन इस प्रतिस्पर्धा को विराम दिया गया और इस हादसे में असमय काल के गाल में समा गए सभी दिवंगत आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के बाद पुनः इस प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ते हुए 03 मई रविवार को एक मैच खेला गया जो की, क्लाइंबर 11 बनाम पावर 11 के बीच खेला गया। मैच में क्लाइंबर 11 की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और निर्धारित 10 ओवरों में 130 रन बनाएं जिसमें, शशांक ने पांच छक्के की मदद से 9 गेंद में 30 रन बनाए, दूसरी पारी में, पावर 11 की टीम ने 9 ओवरों में 95 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जिसमें भारत ने 13 बॉल पर 32 रन बनाए। क्लाइंबर 11 के शशांक ने 2 ओवरों में 6 रन देकर 2 विकेट लिए। इस प्रकार, क्लाइंबर 11 की टीम ने यह मुकाबला 35 रनों से जीत लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच, शशांक रहे। मुख्य अतिथि के रूप में इंटक यूनियन खमरिया के कार्यवाहक अध्यक्ष राकेश रंजन रहे। निर्णायक की भूमिका में आनंद शर्मा, अनुपम भौमिक ने निभाई। इस मौके पर मैच में यूनियन के आनंद शर्मा, राकेश शर्मा, राकेश रंजन, अखिलेश पटेल, अनिल गुप्ता, टी रोबिन, जितेंद्र पांडे, आशीष माहोर, अश्विनी, राहुल पटेल, चंदन पटेल, सचिन तिवारी , हर्षल लॉर्ड, कुणाल कुंभारे, प्रकाश रावत, मुकेश शर्मा, अर्पण विश्वकर्मा, मुकेश ठाकुर, राजू वर्मा, हरिशंकर, अशोक सिंह, हनुमान मीणा, विपिन कुमार चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

निर्मल कांता खोसला का निधन

नवभारत, जबलपुर। बी-39 कचनार सिटी जुपिटर स्कूल निवासी वरिष्ठ चिकित्सक डॉ जी आर भगत की सास, पत्रकार राजेश खोसला की मां श्रीमती निर्मल कांता खोसला का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अंतिम संस्कार रविवार को रानीताल मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

नगर परिषद का आरटीआई पर अजीब जवाब

दैनिक वेतन भोगी' कोई नहीं, सब 'सामूहिक श्रमिक' हैं

क्या जवाबदेही से बचने का है यह नया बहाना?

नगर परिषद का यह जवाब कई बड़े सवाल खड़े करता है जैसे क्या 'दैनिक वेतन भोगी' और 'कलेक्टर दर पर कार्यरत श्रमिक' में इतना बड़ा अंतर है कि भर्ती प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी ही नहीं दी जाए? यदि 'सामूहिक श्रमिक' रखे जा रहे हैं, तो उनकी नियुक्ति का आधार क्या है? क्या इसके लिए कोई विज्ञापन निकाला गया या अपनों को ही पिछले दरवाजे से एंट्री दे दी गई?

मझौली, नवभारत, जबलपुर। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारियों को घुमाने और टालने के मामले में नगर परिषद मझौली का एक नया कारनामा सामने आया है। परिषद ने एक आरटीआई के जवाब में यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि उनके यहाँ कोई 'दैनिक वेतन भोगी' कर्मचारी ही नहीं है, बल्कि वे 'सामूहिक श्रमिकों' से काम चला रहे हैं।

वार्ड क्रमांक 12 के निवासी सुंदर लाल बर्मन ने 15 फरवरी 2023 को एक आरटीआई आवेदन लगाकर नगर परिषद में होने वाली दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भर्ती की नियमावली, आयु सीमा और नियुक्त कर्मचारियों के दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ मांगी थीं। इस आवेदन के जवाब में (क्रमांक 186, दिनांक 27/04/2026) नगर परिषद मझौली ने स्पष्ट लिखा है कि नगर परिषद मझौली में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कोई भर्ती नहीं की गई है। आवश्यकता पड़ने पर सामूहिक श्रमिक के रूप में कलेक्टर दर पर रखकर कार्य कराया जाता है।

भ्रष्टाचार की बू या प्रशासनिक चालाकी?

जानकारों का मानना है कि नगर परिषद 'दैनिक वेतन भोगी' शब्द को नकार कर असल में उन कर्मचारियों की सूची और उनके शैक्षणिक दस्तावेजों को छिपाना चाहती है जो वर्तमान में कार्यरत हैं। 'सामूहिक श्रमिक' बताकर परिषद यह जताना चाहती है कि ये कोई स्थाई व्यवस्था नहीं है, जबकि हकीकत में कई लोग वर्षों से इसी व्यवस्था में काम कर रहे हैं।

3 साल बाद मिला जवाब

बताया जाता है कि आवेदन फरवरी 2023 में दिया गया और जवाब अप्रैल 2026 में को दिया गया है। सूचना के अधिकार के 30 दिन की समय सीमा का यहाँ सरेआम उल्लंघन हुआ है।

नया प्रयोग | जायद की फसल में नवाचार, सूरतलाई के युवा किसान ने मक्का लगाकर पेश की नई मिसाल

गर्मी के मौसम में लहलहा रही मक्का की फसल

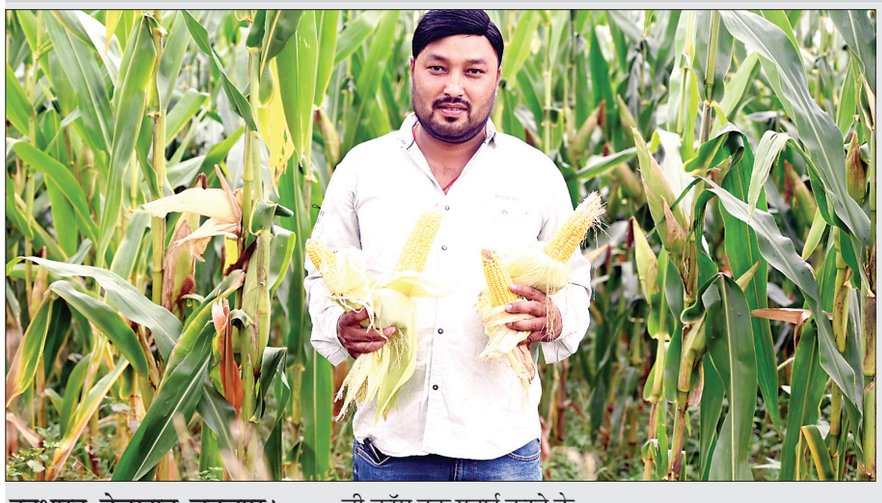

नवभारत, बेलखाडू, जबलपुर। जबलपुर दमोह रोड में स्थित ग्राम सूरतलाई गांव के युवा किसान सौरभ पटेल (32 वर्ष) ने गर्मी के मौसम में खेती में नया प्रयोग कर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। जहां आमतौर पर किसान गेहूं, उड़द-मूंग की पारंपरिक खेती करते हैं, वहीं सौरभ ने जायद सीजन में मक्के की फसल लगाकर नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाया , कुछ नया करके दिखाया।

बी.कॉम तक पढ़ाई करने के बाद भी सौरभ ने खेती को अपना मूल पेशा बनाया और पिछले 12 वर्षों से खेती कर रहे हैं। अब उन्होंने ऐसी खेती की ओर ध्यान दिया है जिसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा हो और प्राकृतिक बारिश जैसे नुकसान ना हो। उनका मानना है कि आज का युवा किसान नई तकनीक और नई फसलों के साथ खेती को लाभकारी बना सकता है।

जायद फसल के फायदे

जायद (गर्मी) की फसल को लेकर कृषि विशेषज्ञ भी कई लाभ बताते हैं, कम रोग-कीट प्रकोप - गर्म मौसम में बीमारियाँ कम लगती हैं। इसके साथ बेहतर सिंचाई नियंत्रण - पानी की जरूरत नियंत्रित रहती है। इसके साथ ही तेज धूप और दिन बड़े होने से पौधों की वृद्धि बढ़ाता है। वहीं ऑफ-सीजन होने से दाम बेहतर मिलते हैं। सबसे बड़ी बात खेत खाली नहीं रहते, सालभर आय संभव होती है।

दो एकड़ में प्रयोग, अगले साल बड़े स्तर पर योजना

सौरभ ने इस बार दो एकड़ में जायद मक्का की खेती का प्रयोग किया है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2025 में बुवाई की गई थी और अब मई में फसल की तुड़ाई की जाएगी। लाभ अर्जित होने पर बड़े स्तर पर खेती को महत्व देंगे।

डबल फायदा, मक्का के साथ कर्वी की भी बिक्री

इस खेती की खास बात यह है कि मक्का की तुड़ाई के बाद खेत में बचा कर्वी हरा चारा भी बेकार नहीं जाएगा। यह चारा डेयरी फार्म में पशुओं के भोजन के लिए बेचा जाएगा, यह अच्छे दामों पर बिक जाता है।

क्षेत्र में बन रहे प्रेरणा स्रोत

सौरभ पटेल का यह प्रयोग अब अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रहा है। किसान भी अब पारंपरिक खेती से हटकर नवाचार और आधुनिक कृषि तकनीकों की ओर बढ़ने की चर्चा कर रहे हैं। जायद मक्का की यह पहल दिखाती है कि यदि किसान नई सोच अपनाए तो खेती को घाटे से निकालकर लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है। आने वाले वर्षों में सूरतलाई क्षेत्र में जायद मक्का की खेती बड़े स्तर पर देखने को मिल सकती है।

यह है प्रति एकड़ लागत का विवरण

बुवाई, निंदाई, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण के साथ फूल वर्धक व अन्य कटाई कृषि कार्य आदि में कुल लागत लगभग पंद्रह से बीस हजार रुपए प्रति एकड़ आती है। और बरसात में मक्का की खेती करने वालों को 18 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन होता है वहीं जायद मक्का का खेती उत्पादन 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। किसान सौरभ पटेल के अनुसार अनुमानित लाभ लगभग 60 हजार रुपए प्रति एकड़ यानी पारंपरिक फसलों की तुलना में जायद मक्का से दोगुना उत्पादन और बेहतर आय की संभावना है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

E-mail : modgmanu@mp.gov.in

क्रमांक/ /खनिज/2026/ अनूपपुर, दिनांक :

प्रथम सूचना

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम,18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा आवेदन प्राप्त करने के लिए

यह सूचित किया जाता है कि, आवेदक **श्री अमरलाल** निवासी ग्राम वार्ड नं. 10 लाईन दफाई बरदा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 15/04/2026 को प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 25/05/2026 तक इस क्षेत्र पर यथा स्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार	खनिज का नाम	रिमार्क
अनूपपुर	कोतमा	बसखला	32/1	3.990	शासकीय भूमि	बोल्डर एवं गिट्टी	आवेदन

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 5:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

उप संचालक
(खनि प्रशासन)
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

जी-12380/26

स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता